N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0129 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 26/05/2025 15:59 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 22/05/2025 Date To (दिनांक तक): 24/05/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:30 बजे Time To (समय तक): 12:40 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/05/2025 Time (समय): 14:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 26/05/2025 15:59:00 बजे
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 50 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
      (b) Address(पता): 2/250, PURANA HOUSEING BOARD, SURATGARH, JILA SHRIGANGANAGAR
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** GANESHARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GOVINDRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	05, MOKALSAR, SURATGARH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	05, MOKALSAR, SURATGARH, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	GANESHARAM GODARA		पिता:RAVATARAM GODARA	1. WARAD NO. 06,MOKALSAR,SURATGARH,G ANGA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ विषय - रिश्वत मांगने वाले ग्राम पंचायत सरपंच के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय, निवेदन है, कि मैं गणेशाराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति-कुम्हार उम्र-24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर मेरे गांव मोकलसर में मेरे माता पिता पत्नी व बच्चे के साथ रहता हूं तथा गांव में ईमित्र संचालक का कार्य करता हूं मेरे पिता श्री गोविन्दराम पुत्र श्री बीरबलराम उम्र-60 वर्ष खेती बाड़ी का कार्य करते है। मेरे पिता ने 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी बनने के लिये फोर्म भरा था, मेरे पिता अनपढ़ होने के कारण घर के कागजी काम में ही देखता हूं, इसलीये मेने जब प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑनलाइन सूची देखी तो मेरे पिता श्री गोविन्दराम की ID संख्या RJ 105863377 को सूची में वेरीफाईड दिखाया हुआ है, परन्तु आवास राशि स्वीकृत नहीं हुई है। जिस पर मैने हमारी ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा के मोबाईल नंबर [redacted] पर सरपंच गणेशाराम गोदारा से बात की और मेरे पिता के नाम आवास योजना की राशि स्वीकृत नहीं होने के बारे में पूछा तो सरपंच गणेशाराम गोदारा ने कहा की कुछ ले-दे कर तुम्हारा काम करवा देगें। जिस पर मैने पूछा कैसे तो सरपंच गणेशाराम गोदारा ने कहा तुम मुझे 12000/-रूपये कमीशन के दे दो तुम्हारी आवास योजना राशि मैं स्वीकृत करवा दूंगा। यदि तुमने मुझे 12000/-रूपये नहीं दिये तो मैं तुम्हारे पिता गोविन्दराम का नाम लिस्ट से हटवा दूंगा और तुम्हारे पिता को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिल पायेगी इसलिए मुझे 12000/-रूपये कमीशन के दोगे तभी ये तुम्हारे पिता की आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाउंगा। श्रीमान् जी मेरे जायज काम के लिए मैं सरपंच गणेशाराम गोदारा को रिश्वत के 12000/-रूपये नहीं देना चाहता हूं, मैं सरपंच गणेशाराम गोदारा को बतौर लोकसेवक 12000/-रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी सरपंच गणेशाराम गोदारा ग्राम पंचायत मोकलसर से कोई रंजीश नहीं है और ना ही उससे पैसो का कोई लेन देन सेस है। अतः सरपंच गणेशाराम गोदारा के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 22-05-2025 प्रार्थी -एसडी- गणेशाराम पुत्र गोविन्दराम जाती कुम्हार उम्र-24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर Mo.[redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 22.05.2025 को वक्त 01.30 पीएम प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी गणेशाराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति कुम्हार, उम्र-24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमती सुधा पालावत अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया जिन्होने प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया परिवादी गणेशाराम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी गणेशाराम ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होकर उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी गणेशाराम ने दरियाफ्त पर बताया कि मैं मेरे गावं में मेरे माता-पिता, पत्नी व बच्चे के साथ रहता हूं तथा गांव में ई-मित्र संचालक का कार्य करता हूं, मेरे पिता श्री गोविन्दराम अनपढ़ है व खेती-बाड़ी का कार्य करते है। मेरे पिता ने 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी बनने के लिए फार्म भरा था, मेरे पिता अनपढ़ होने के कारण घर के कागजी काम मेरे द्वारा ही किये जाते है इसलिये मैने जब प्रधानमंत्री आवास योजना की आनलॉईन सूची देखी तो मेरे पिता श्री गोविन्दराम की आई.डी. संख्या RJ 105863377 को सूची में वेरीफाईड दिखाया हुआ है, परन्तु आवास राशि स्वीकृत नहीं हुई है। जिस पर मैने हमारी ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेषाराम गोदारा के मोबाईल नंबर [redacted] पर सरपंच गणेशाराम गोदारा से बात की और मेरे पिता के नाम आवास योजना की राशि स्वीकृत नहीं होने के बारे में पूछा तो तो सरपंच गणेशाराम गोदारा ने कहा की कुछ ले-देकर तुम्हारा काम करवा देगें। जिस पर मैने पूछा कैसे तो सरपंच गणेशाराम गोदारा ने कहा तुम मुझे 12000/-रूपये कमीशन के दे दो तुम्हारी आवास योजना राशि मैं स्वीकृत करवा दूंगा। यदि तुमने मुझे 12000/-रूपये नहीं दिये तो मैं तुम्हारे पिता गोविन्दराम का नाम लिस्ट से हटवा दूंगा और तुम्हारे पिता को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि नहीं मिल पायेगी इसलिए मुझे 12000/-रूपये कमीशन के दोगे तभी ये तुम्हारे पिता की आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाउंगा। श्रीमान् जी मेरे जायज काम के लिए मैं सरपंच गणेशाराम गोदारा को रिश्वत के 12000/-रूपये नहीं देना चाहता हूं, मैं सरपंच गणेशाराम गोदारा को बतौर लोकसेवक 12000/-रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं। मेरी सरपंच गणेशाराम गोदारा ग्राम पंचायत मोकलसर से कोई रंजीश नहीं है और ना ही उससे पैसो का कोई लेन देन शेष है। अतः सरपंच गणेशाराम गोदारा के विरूद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने

की कृपा करें। परिवादी श्री गणेशाराम ने दौराने पूछताछ अपने पिता गोविन्दराम की अंगूठा निशानी किया सहमति पत्र प्रस्तुत किया। परिवादी गणेशाराम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व सहमति पत्र, आधार कार्ड की प्रति व आनलाईन वेरीफाईड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 02.40 पीएम पर परिवादी गणेशाराम को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी श्री गणेशाराम से ब्युरो के श्री विजय प्रसाद कानि. 123 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री गणेशाराम को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी गणेशाराम व श्री विजयप्रसाद कानि. 123 को ग्राम पंचायत मोकलसर की तरफ रवाना किया। समय 06.30 पी.एम. पर गोपनीय सत्यापन में हेतु गया हुआ श्री विजय प्रसाद कानि. ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व बंद डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए अवगत करवाया कि मैं व परिवादी गणेशाराम ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सूरतगढ़ पहुंचे, परिवादी ने बताया की सरपंच सूरतगढ़ में ही रहता है और वो यही घर पर मिलेगा। परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर सरपंच से संपर्क करने हेतु उसके आवास की तरफ रवाना किया मै गोपनीय रूप से बाहर ही मुकिम हो गया था, कुछ समय बाद परिवादी वापिस आया जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा, परिवादी ने बताया कि गणेशाराम सरपंच घर पर उपस्थित मिला जिसने मेरे से जाते ही पैसों के बारे में पूछा व मेरे कार्य के संबंध में वार्ता करते हुए कहा की अगर रूपये नहीं दोगे तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपका कैंमिल हो जायेगा, मैने कुछ कम करने के लिए कहा तो उसने कहा की इसके लिए 15000/-रूपये तक लगते है, इसलिए तुम जल्दी से करवा दो वर्ना कैंमिल हो सकता है इस पर मैने सरपंच को दो हजार रूपये दिये जिसे सरपंच ने गिनकर अपने पास रख लिये व मेरे दस हजार रूपये के लिए एक-दो दिन का कहा तो उसने जल्दी करवाने का कहा है। परिवादी ने बताया कि अब मुझे घर पर जरूरी काम है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता मै एक-दो दिन में रिश्वत की राशि की व्यवस्था कर आपके कार्यालय में आ जाउंगा, इस पर मैंने निर्देशानुसार परिवादी को वहीं छोड़ते हुए वहां से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आया हूं। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो उसमें परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। आईन्दा परिवादी गणेशाराम के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी व अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। दिनांक 23.05.2025 समय 05.20 पीएम पर परिवादी श्री गणेशाराम ने जरिये दूरभाष संपर्क कर बताया की मेरे पास रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है और मैं कल सुबह रिश्वत राशि लेकर आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा और सरपंच को कल ही रिश्वत राशि दूगां। इस पर परिवादी श्री गणेशाराम को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 05.30 पीएम पर परिवादी ने रिश्वत राशि दिनांक 24.05.2025 को देने का कहा है, दिनांक 24.05.2025 को शनिवार होने के कारण व कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने के कारण जरिये दूरभाष सहायक अभियंता जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ को गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वंतत्र गवाह भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। समय 05.45 पीएम पर तलविदा विरेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये जिन्हे दिनांक 24.05.2025 को सुबह 09.00 एएम पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर वापिस भिजवाया। दिनांक 24.05.025 को सुबह 09.00 एएम पर पाबन्दशुदा श्री विरेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम हनुमानगढ़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री गणेशाराम ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि दिनांक 22.05.2025 को मै व विजय प्रसाद कानि. ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर सूरतगढ़ मे सरपचं के निवास के पास पहुंचे जहा पर विजय जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर सरपंच के घर पर भेजा खुद बाहर ही रूक गये थे, मैं घर पर गया तो वहां पर सरपंच उपस्थित मिला जिसने मेरे से जाते ही पैसों के बारे में पूछा व मेरे कार्य के संबंध में वार्ता करते हुए कहा की अगर रूपये नहीं दोगे तो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपका कैंसिल हो जायेगा, मैने कुछ कम करने के लिए कहा तो उसने कहा की इसके लिए 15000/-रूपये तक लगते है, इसलिए तुम जल्दी से करवा दो वर्ना कैसिंल हो सकता है इस पर मैने सरपंच को दो हजार रूपये दिये जिसे सरपंच ने गिनकर अपने पास रख लिये व मेरे दस हजार रूपये के लिए एक-दो दिन का कहा तो उसने जल्दी करवाने का कहा फिर मैं वहां से वापिस आकर विजय जी से मिला जिन्होने मेरे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया फिर मैने उन्हे यह बात बता दी थी। फिर मुझे घर पर जरूरी काम था इसलिए मैं उनके साथ नहीं आया वो मुझे वहीं छोडते हुए चले गये थे और मैं अपने गांव चला गया था। परिवादी ने अवगत करवाया की मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10000/-रूपये कि व्यवस्था कर साथ लाया हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। दिनांक 24.05.2025 समय 10.15 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री विरेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक द्वितीय, श्री शैलेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक प्रथम को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री गणेशाराम से

आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री गणेशाराम के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से व सत्यापन के संबंध में अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। परिवादी गणेशाराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति कुम्हार, उम्र-24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ने आरोपित श्री गणेशाराम सरपंच को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स. नोटों का विवरण नम्बर 1 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8SW 759810 2 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7QM 871916 3 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 1WC 449753 4 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2KL 827737 5 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CV 291808 6 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3AP 986008 7 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0BT 860769 8 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3BP 260964 9 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BD 283973 10 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5AE 990613 11 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2CQ 999067 12 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7PK 084752 13 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8SD 277755 14 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NA 857224 15 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2UA 737261 16 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0KF 516351 17 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4NE 873988 18 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 1HE 545945 19 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7CR 657283 20 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5RB 512574 रूबरू गवाहन श्री खियांराम सउनि. से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह विरेन्द्र कुमार वाणिज्यिक सहायक द्वितीय से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 10,000 रू. श्री खियारांम सउनि. से ही परिवादी के पहनी जिन्स पेंट की सामने की बांई साईड की जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. [redacted] पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक मे देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री खियांराम सउनि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईष प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री गणेशाराम को रिश्वती लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 11.00 एएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गणेशाराम, स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, हमरकाब श्रीमती सुधा पालावत अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री रामजस कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों मे अवगत करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय, परिवादी श्री गणेशाराम स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र कुमार, श्री शैलेन्द्र कुमार, हमरकाब श्रीमती सुधा पालावत अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री रामजस कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश सोनी कानि. ड्रा. मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 22.05.2025 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजी व सरकारी वाहनों से ब्यूरो कार्यालय से सूरतगढ़ की तरफ रवाना हुए। श्री खियांराम सउनि. को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। दिनांक 24.05.2025 समय 12.20 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा सूतरगढ़ में हेमू कालानी चौक पुरानी हाउसिंग बोर्ड के पास पहुंचा, परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु आरोपी के निवास की तरफ रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.40 पीएम पर परिवादी श्री

गणेशाराम द्वारा जरिये वॉटसअप कॉल मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर आरोपी के मकान नं. 2/250 पुराना हाउसिंग बोर्ड के गेट पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री गणेशाराम उपस्थित मिला जिसने बताया की सरपंच गणेशाराम जी ने मेरे से मेरे काम के संबंध में वार्ता करते हुए मेरे से दस हजार रूपये रिश्वत के लेकर गिनकर मेज की दराज में रख लिये है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है, इस पर परिवादी श्री गणेशाराम को साथ लेकर मन् पुलिस निरीक्षक ने घर का बाहर का लोहे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया घर में आगे खुला चौक है जिसमें एक कमरा बना हुआ है जिसे खुलवाने के लिए आवाज दी तो एक आदमी कमरे से अंदर घर की तरफ चला गया फिर दुसरे दरवाजे की तरफ गया तो एक आदमी अंदर से बोला की मैं बाहर आ रहा हूं और झाली के दरवाजे को अंदर से बंद करते हुए मकान में पीछे की तरफ जाने लगा जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय दिया वह फिर भी नहीं रूका, रिश्वती राशि आरोपी के पास है और वह गायब कर सकता है इसलिए झाली वाले दरवाजे को जोर से खींचा तो उसकी चिटकनी टूटते हुए खुल गयी, अंदर प्रवेश किया तो वह आदमी सीढ़ियों की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया जिसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए रोका वह कहने लगा की मैने तो अभी उधार की राशि ली है इस पर उसे तहस्सली देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेशाराम गोदारा पुत्र श्री रावताराम गोदारा जाति-जाट, उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल निवास 2/250 पुराना हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर होना बताया व रिश्वत राशि के संबंध में पूछा तो कहने लगा की यहीं दराज में पड़ी है, परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास रखा तथा आरोपी गणेशाराम सरपंच के दोनो हाथों को ब्यूरो स्टाफ से पकड़वाया गया और रिश्वत राशि हेतु मेज की बांयी तरफ की सबसे उपर वाली दराज को चैक किया तो उस दराज में 500-500 रूपयों की दो गड्डिया मिली, फिर परिवादी ने बताया की सरपंच साहब ने मेरे से रूपये लेकर मेज की दांयी तरफ की दराज में रखे थे, फिर मेज की दांयी तरफ की दराज को चैक किया तो उसमें पांच-पांच सौ रूपये की एक थैई दिखी, उन नोटों को गवाह श्री विरेन्द्र कुमार से उठवाया गया व गवाह श्री शैलेन्द्र कुमार को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर बरामदा नोटो का मिलान करवाया तो प्राप्त नोट हुबहू पाये गये जिनके नोटों का फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामदा नोटों को सुरक्षार्थ गवाह श्री विरेन्द्र कुमार को संभलाये गये। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री गणेशाराम गोदारा सरपंच के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R1 R2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री गणेशाराम गोदारा सरपंच के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L1 L2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। रिश्वत राशि मेज की दांयी साईड की दराज में एक हल्के नीले रंग के कागज के लिफाफे जिस पर राजीवका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद लक्ष्मी राजीविका स्वंय सहायता समूह 1 एम.एल. कालूवाला सादुलशहर की मोहर लगी है के उपर से बरामद हुई है जिसका धोवन लेना आवश्यक होने के कारण एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर गिलास में एक कपड़े की चिंदी को डूबोया गया फिर उस चिंदी को हल्के नीले रंग के कागज पर फिराकर वापिस गिलास में डूबोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसकी ताईद गवाहन द्वारा की गई। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क T1 T2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। जिस कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया था उन्हे सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। हल्के नीले रंग के लिफाफा जिस पर से रिश्वत राशि बरामद हुई उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट किया गया। रिश्वत राशि सुरक्षार्थ श्री विरेन्द्र कुमार स्वतंत्र गवाह के पास है, रिश्वत राशि 10000/-रूपये को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। घर की खानातलाशी श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर मय टीम के द्वारा ली जा रही है आरोपी के घर के कमरे में रखे मेज की बांयी दराज में पांच-पांच सौ रूपयों की गड्डी मिली थी जिन्हे गिना गया जो 100390/-रूपये है जिसके संबंध में आरोपी गणेशाराम सरपंच ने बताया की यह राशि मेरे चाचा के लड़के भाई रामेश्वर ने कल ही बैंक से निकालकर मेरी जरूरत के लिए लाकर दिये थे, उक्त राशि को श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक को खानातलाशी के क्रम में संभलाये गये। परिवादी टी-शर्ट और हाफ निकर में है जिसके कपड़े बदलवाये जाकर कुर्ता पायजामा पहनाये गये। आरोपी गणेशाराम वर्तमान सरपंच है और राजनितिक पहुंच वाला व्यक्ति है और मौके पर घर के बाहर भीड़ होने की संभावना होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी गणेशाराम सरपंच मय जब्तशुदा मालवजह सबूत को लेकर

आरोपी के घर से सुरक्षित स्थान पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी हेतु रवाना हुआ। पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। फिर आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच से परिवादी गणेशाराम से ली गई रिश्वत के संबंध में पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा कुछ दिन पहले गणेशाराम को ई-मित्र पर बिल भरने के लिए पन्द्रह हजार रूपये उधार दिये थे और वह आज यही देने के लिए आया था वो ही रूपये मैने लिये थे, परिवादी ने बताया की मेरे पिताजी के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में वेरिफाईड है जिनका नाम लिस्ट में आया था कुछ दिन पहले सरपंच साहब ने मुझे जरिये फोन संपर्क किया और कहा की तेरे पिता का नाम लिस्ट में है तू मेरे से मिल ले कुछ ले देकर तेरे रूपये पास करवा दूंगा नहीं फिर तेरा नाम लिस्ट से कटवा दूंगा, मेरे द्वारा सरपंच साहब से सपंर्क किया गया तो इन्होने मेरे 12000/-रूपये रिश्वत की मांग की थी और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा आपके कार्यालय में की थी जिस पर आप द्वारा शिकायत का सत्यापन करवाया गया था तब सरपंच साहब ने मेरे से पैसे मांगे थे और कहा की अगर पैसे नहीं दो गे तो आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से कट जायेगा, जिस पर मेरे द्वारा उन्हे दो हजार रूपये वक्त सत्यापन दिये थे और दस हजार रूपये रिश्वत के आज इन्हे दिये है मेरा इनसे कोई उधार का लेन देन नहीं है और ना ही मैने इनसे कोई उधार रूपये कभी लिये है मेरे द्वारा सरपंच साहब को रिश्वत राशि ही दी गई थी। आरोपी श्री गणेशाराम गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर से परिवादी के कार्य के संबंध में पूछने पर बताया की पंचायत समिति से एक लिस्ट आती है जिसकी जांच ग्राम विकास अधिकारी द्वारा की जाती है फिर उसको अनुमोदन हेतु ग्राम सभा की मिटिंग में रखा जाता है फिर अनुमोदन होने के पश्चात मेरे व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से पंचायत समिति में भिजवा दिया जाता है, परिवादी के पिता गोविन्दराम के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आया था जिसका कुछ समय पहले अनुमोदन कर पंचायत समिति भिजवा दिया था। मेरे पास इसका कोई काम पेडिंग नही है। जो लिस्ट भिजवायी गई थी वो ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी के पास रहती है, इस पर ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोकलसर को परिवादी से संबंधित दस्तावेज लेकर आने हेतु जरिये दूरभाष निर्देषित किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी के हाथों की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादी व आरोपीगण से पूछताछ का सरकारी विडियो कैमरा से जरिये अमन क.सहायक से विडियो क्लीप तैयार करवायी गई। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिष्वत राषि एंव हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 03.45 पीएम पर नमूना सील तैयार की गई। वक्त 04.00 पीएम पर कार्यवाही के दौरान आरोपी गणेषाराम गोदारा सरपंच को जरिये फर्द हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। वक्त 04.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 22.05.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 05.20 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में एक वाईस क्लिप है, जिसमें परिवादी व आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच के मध्य हुई वार्ता है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 22.05.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 4 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने दो अलग-अलग 4 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- 318869dd5293c11b265df48fb2cd7fdf3c342365 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 22.05.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर, प्लॉस्टिक की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मुर्तिब की गई। वक्त 05.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 24.05.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 07.00 पीएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में एक वाईस क्लिप है, जिसमें परिवादी व आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच के मध्य हुई वार्ता है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 24.05.2025 की रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-af011d73a82e776f4b7fc89569ae591acf125e3a है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-बी-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर

अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 24.05.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर, प्लास्टिक की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मुर्तिब की गई। समय 07.20 पीएम घटनास्थल 2/250 पुराना हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर व पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी में ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सरकारी विडियो कैमरा से अमन कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा आरोपी की हाथ धुलाई व रिश्वत राशि बरामदगी तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी की गई। बरूबरू गवाहान के समक्ष उक्त सरकारी विडियो कैमरा में से मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त कार्यवाही की सम्पुर्ण विडियोग्राफी की 14 फाईल है उक्त मैमोरी कार्ड को सरकारी विडियो कैमरा से निकाला गया, उक्त मैमोरी कार्ड सैनडिस्क कम्पनी का है जिस पर 32 जीबी अंकित है। उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के सरकारी लेपटाप में डाला गया जिसमें 14 फाईल है इसकी दो पैन ड्राईव जिन पर ADATA 8GB अंकित है में मन् पुलिस निरीक्षक ने प्रतिलिपी की। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेट कर प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया व एक पैन ड्राईव को कपड़े की थैली में डालकर सील्ड किया गया। फर्द मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। समय 08.45 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मोकलसर को परिवादी से संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु कहा गया था जो अभी तक पेश नहीं किये है, जो पेश करने पर शामिल पत्रावली किये जायेगें। मौसम आंधी बरसात का हो चुका है, इस कारण मन् पुलिस निरीक्षक, मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गणेशाराम गोदारा सरपंच, दोनो स्वतंत्र गवाहन श्री विरेन्द्र कुमार व श्री शैलेन्द्र कुमार, ब्यूरो स्टाफ हमरकाब श्रीमती सुधा पालावत अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री विजय प्रसाद कानि., श्री रामजस कानि., श्री वरूण कुमार कानि., श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा.,कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सील्डशुदा छः शिशियां, सील्डशुदा रिश्वत राशि दस हजार रूपये, सील्डशुदा चींदी की कपड़े थैली, सील्डशुदा कागज के लिफाफे की कपड़े की थैली, सील्डशुदा तीन मैमोरी कार्ड की थैली जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन, रिश्वत लेन देन व कार्यवाही की विडियो ग्राफी के मैमोरी कार्ड है व उक्त मे संबंधित सील्डशुदा तीन पैन ड्राईव की थैली व तीन खुले पैन ड्राईव ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री को साथ लेकर पुलिस थाना सूरतगढ़ सिटी श्रीगंगानगर से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए, परिवादी श्री गणेशाराम को आवश्यक हिदायत कर वहीं से रवाना किया गया। समय 10.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गिरफ्तारशुदा आरोपी गणेशाराम गोदारा व दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ मय कार्यवाही में जब्तषुदा माल-वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय में पहुंचा व श्री विजय प्रसाद कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत माल-वजह सबूत सील्डशुदा छः शिशियां, सील्डशुदा रिश्वत राशि दस हजार रूपये, सील्डशुदा चींदी की कपड़े थैली, सील्डशुदा कागज के लिफाफे की कपड़े की थैली, सील्डशुदा तीन मैमोरी कार्ड की थैली जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन, रिश्वत लेन देन व कार्यवाही की विडियो ग्राफी के मैमोरी कार्ड है व उक्त मे संबंधित सील्डशुदा तीन पैन ड्राईव की थैली व तीन खुले पैन ड्राईव मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच का मेडिकल चैकअप करवाया गया। आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्षंन के हवालात में रखवाया गया। इस प्रकार परिवादी गणेशाराम पुत्र श्री गोविन्दराम जाति कुम्हार, उम्र-24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 05, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2025 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 22.05.2025 को करवाये गये सत्यापन से परिवादी श्री गणेशाराम से आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच ने परिवादी के पिता के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का नियमानुसार मिलने वाले लाभ के बदले में 12000/-रूपये रिश्वत मांग कर 2000/-रूपये वक्त सत्यापन प्राप्त किये व 10000/-रूपये रिश्वत मांग करने के तथ्य रिकॉर्ड पर आने व दिनांक 24.05.2025 को वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री गणेशाराम गोदारा सरपंच द्वारा परिवादी श्री गणेशाराम से 10000/-रूपये गिनकर मेज की दांयी तरफ की दराज में रखे एक हल्के नीले रंग के कागज के लिफाफे पर रखे जहां से बरामद किये गये, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन हल्का गुलाबी व गुलाबी व मेज की दांयी तरफ की दराज में रखे एक हल्के नीले रंग के कागज के लिफाफे के प्राप्त धोवन गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी गणेशाराम गोदारा सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी से रिश्वत प्राप्त की आदि तथ्यों से श्री गणेशाराम गोदारा पुत्र श्री रावताराम गोदारा जाति-जाट, उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल निवास 2/250 पुराना हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः श्री गणेशाराम गोदारा पुत्र श्री रावताराम गोदारा

जाति-जाट, उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल निवास 2/250 पुराना हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (राजेन्द्र सिह) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ .... कार्यवाही पुलिस..................प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गणेशाराम गोदारा पुत्र श्री रावताराम गोदारा जाति-जाट, उम्र-42 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06, मोकलसर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल निवास 2/250 पुराना हाउसिंग बोर्ड सूरतगढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर पंचायत समिति सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जय कुमार नायक, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि. ब्यूरो, बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 481 पर अंकित है (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 752-56 दिनांक 26.05.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर, 2. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर 3-संभागीय आयुक्त, बीकानेर।, 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जयपुर-तृतीय, जयपुर।. 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ़।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** jai kumar nayak **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 26/05/2025 16:

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	13/10/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)